भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1867

बुधवार, 04 अगस्त, 2021 / 13 श्रावण, 1943 (शक)

बंधुआ मजदूरों के कार्यक्रम/योजनाएं

1867. श्री नीरज डांगी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में बंधुआ मजदूरों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) देश में बंधुआ मजदूरी को खत्म करने के लिए चल रहे कार्यक्रमों /योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनके परिणामस्वरूप बंधुआ मजदूरों की संख्या में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी कमी आई है;

(ग) क्या सरकार ने मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के लिए पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक राज्य में कितने पुनर्वास केन्द्र हैं;और

(घ) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ आवंटित तथा उपयोग की गई कुल निधि का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) बंधुआ श्रम पद्धति को 25 अक्टूबर, 1975 से बंधुआ श्रम पद्धति (उत्सादन) अध्यादेश, जिसे बंधुआ श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, के तहत पूरे देश से कानून द्वारा समाप्त कर दिया गया है। जैसे ही बंधुआ मजदूरों के होने का पता चलता है, ऐसे व्यक्तियों को जिला प्रशासन द्वारा तुरंत मुक्त कराया जाता है और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) और (ग): बंधुआ श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के तहत, मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों की पहचान, रिहाई और पुनर्वास संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की सहायता के लिए एक संशोधित बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना-2016 दिनांक 17.05.2016 से चल रही है। योजना के अनुसार, केंद्र सरकार 100% खर्च वहन करती है और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को बंधुआ मजदूरी के लिए नकद पुनर्वास सहायता, मूल्यांकन अध्ययनों, सर्वेक्षणों और जागरूकता अभियानों के लिए किसी भी समान योगदान का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। योजना के अनुसार, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा

जिला स्तर पर जिलाधिकारी के निस्तारण पर कम से कम 10 लाख रु. की स्थायी निधि से बंधुआ मजदूर पुनर्वास कोष गठित किया जाता है। इस कोष का उपयोग मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है। संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस कॉरपस कोष से 20,000/- रुपये प्रति बंधुआ मजदूर तक की तत्काल वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है। इस राशि की केंद्र सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को पूरी तरह से प्रतिपूर्ति की जाती है। इसके अलावा, इस योजना के तहत मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों को उनकी श्रेणी अर्थात पुरुष, महिला या बच्चों के आधार पर उनके पुनर्वास के लिए 1.00 लाख रुपये, 2.00 लाख रुपये और 3.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, उपरोक्त लाभ अन्य भूमि और आवास लाभों आदि के अतिरिक्त हैं, जो कि नीचे दर्शाए गए हैं:

1) मकान-स्थल और कृषि भूमि का आवंटन;
2) भूमि विकास;
3) कम लागत वाली आवासीय इकाइयों का प्रावधान;
4) पशुपालन, डेयरी, मुर्गी पालन, सुअर पालन आदि;
5) वेतन सहित रोजगार, न्यूनतम मजदूरी आदि का प्रवर्तन;
6) लघु वन उत्पादों का संग्रह और प्रसंस्करण;
7) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति;
8) बच्चों के लिए शिक्षा; तथा
9) राज्य/केंद्र सरकार की कोई अन्य कल्याणकारी योजना।

पिछले 5 वर्षों के दौरान मुक्त कराए गए और पुनर्वासित किए गए बंधुआ मजदूरों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुबंध-I पर है।

(घ): आवंटित एवं प्रयुक्त निधि का विवरण निम्नानुसार है:

(लाख में)

वर्ष	आवंटित निधि		प्रयुक्त निधि
	बीई	आरई	
2018-19	1000	812	319.25
2019-20	800	750	34.75
2020-21	1000	100	99.85
2021-22	1000		234.73 ,जुलाई)2021 तक(

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध-II में है।

**

***

अनुबंध -I

"बंधुआ मजदूरों के कार्यक्रम/योजनाएं" के संबंध में श्री नीरज डांगी द्वारा पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1867 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

मुक्त कराए गए एवं पुनर्वासित बंधुआ मजदूरों की संख्या												
वर्ष	असम	बिहार	कर्नाटक	मध्य प्रदेश	ओडीशा	पुदुचेरी	राजस्थान	तमिल नाडु	उत्तर प्रदेश	छत्तीसगढ़	प. बंगाल	कुल
2017-2018	**-**	**461**	**1500**	**2**	**742**	**-**	**159**	**-**	**3492**	**57**	**-**	**6413**
2018-2019	**12**	**238**	-	**-**	**-**	**9**	**-**	**-**	**741**	**1276**	**-**	**2276**
2019-2020	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2020-2021	**1**	**220**	**-**	**34**	**--**	**-**	**49**	**-**	**-**	**-**	**16**	**320**
2021-2022	**-**	**48**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**876**	**-**	**250**	**-**	**1174**
कुल												**10183**

अनुबंध -II

"बंधुआ मजदूरों के कार्यक्रम/योजनाएं" के संबंध में श्री नीरज डांगी द्वारा पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1867 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष में जुलाई, 2021 तक प्रयोग की गई निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

(लाख में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (जुलाई, 2021 तक)
असम	02.40	--	02.00	--
बिहार	47.60	--	43.65	9.60
कर्नाटक	--	05.00	--	--
मध्य प्रदेश	--	--	6.20	--
पुदुचेरी	01.80	--	--	--
राजस्थान	--	--	9.80	--
तमिलनाडु	--	29.75	--	175.13
उत्तर प्रदेश	74.10	--	--	--
छत्तीसगढ़	193.35	--	--	50.00
पश्चिम बंगाल	--	--	11.20	--
गुजरात	--	--	12	--
केरल	--	--	15	--
कुल	319.25	34.75	99.85	234.73

******